राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)

E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–रालसा/स्टोर/एफ 9/2022–23/ 5050 दिनांकः– 16/3/2023

सीमित निविदा - 23

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा आगामी एक वर्ष हेतु कार्यालय में संस्थापित 05 (पांच) केनन फोटोस्टेट मशीनों के वार्षिक रख–रखाव मय पार्ट्स बाबत् दरें प्रति कॉपी की दर से आमत्रंण हेतु सीमित निविदा जारी की जाती है। निविदा दिनांक 22.03.2023 को प्रातः 11.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त निविदा उसी तिथि को दोपहर 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 50 हजार रुपये एक वर्ष में व्यय होना सम्भावित है।

निविदा की शर्तेः–

1. फोटो स्टेट मशीनों के रखरखाव के अन्तर्गत पार्ट्स एवं इंक सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
2. सेवा प्रदाता फर्मो द्वारा निविदा प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
3. सभी मशीनों का रख–रखाव व सर्विस फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
4. सभी मशीनों की सर्विस व मरम्मत कार्य शिकायत अनुसार विभाग में तुरंत उपस्थित होकर दुरूस्त करनी होगी।
5. निविदा में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो निविदा में अलग से अंकित करें।
6. कार्यालय में स्थापित फोटोस्टेट मशीनों की मरम्मत/सर्विस के दौरान क्षति होती है, तो इसके लिए स्वयं निविदादाता उत्तरदायी होगा।
7. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
8. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्ते स्वीकार नही होगी।
9. मशीनों में ओरिजनल पार्टस लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बदले जाएँगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाने होंगे जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
10. निविदा के साथ अधिकृत व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन एवं जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्त भी लागू होगी।

निदेशक

क्रमांकः–रालसा/स्टोर/एफ 9/2022–23/ 5051–5053 दिनांकः– 16/3/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट एवं SPPP पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित/रक्षित पत्रावली।

16/03/2023

उप सचिव (स्टोर प्रभारी)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 15100/9928900900)

E-mail: rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in, Website: www.rlsa.gov.in

क्रमांकः–रालसा/स्टोर/एफ 9/2022–23/ 5054 दिनांकः– 16/3/23

कोटेशन के लिए अनुरोध-24

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा मुख्यालय कार्यालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर कार्यालय में संस्थापित 17 ए. सी. (एयर कंडीशनर) के वार्षिक रखरखाव हेतु एक वर्ष के लिए दर संविदा (A.M.C.), पार्ट्स, इंस्टॉलेशन अन्य संबंधित कार्य बाबत् कोटेशन के लिए अनुरोध जारी किया जाता हैः–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	चार्ज प्रति ए.सी. रुपये में
1.	जेट पम्प सर्विस व गैस रिफिल	
2.	इंस्टॉलेशन कार्य	
3.	अनइंस्टॉलेशन कार्य	
4.	पार्ट्स (कॉपर पाईप, वायर, प्लास्टिक पाईप, कम्प्रेशर, रिमोट इत्यादि)	

कोटेशन दिनांक 22.03.2023 को दोपहर 03.00 बजे तक बन्द लिफाफों में स्वीकार की जायेगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को सायं 04.00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति के समक्ष एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोले जावेंगे। इस कार्य पर लगभग 60000 हजार रुपये व्यय होना सम्भावित है।

कोटेशन की शर्तेंः–

1. सेवा प्रदाता फर्मो द्वारा कोटेशन प्रेषित करने से पूर्व, कार्यालय समय में कार्य का निरीक्षण किया जा सकता है।
2. सभी एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) का सर्विस/मरम्मत कार्य फर्म के प्रशिक्षित सर्विस इंजिनियरों द्वारा ही किया जावेगा।
3. सभी एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) की सर्विस व मरम्मत कार्य शिकायत अनुसार विभाग में तुरंत उपस्थित होकर दुरूस्त करनी होगी।
4. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
5. विभाग में स्थापित एयर कंडीशनर्स (ए.सी.) की मरम्मत/सर्विस के दौरान क्षति होती है तो इसके लिए स्वयं कोटेशनदाता उत्तरदायी होगा।
6. कार्य संतोषप्रद होने पर ही भुगतान देय होगा।
7. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होगी।
8. मशीनों में ओरिजनल पार्टस लगाने होंगे एवं अनुबंध के अनुसार ही बदले जाएँगे एवं बदले गये पार्ट्स विभाग के स्टोर अनुभाग में जमा करवाने होंगे, जिसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ होगी।
9. कोटेशन के साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

निदेशक

क्रमांकः–रालसा/स्टोर/एफ 9/2022–23/ 5055 - 5057 दिनांकः– 16/3/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा/नोटिस बोर्ड राज. उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट एवं SPPP पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित/रक्षित पत्रावली।

16/03/2023

उप सचिव (स्टोर प्रभारी)